



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2002/फाल्गुन 6, 1923

No. 30]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2002/PHALGUNA 6, 1923

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

सूक्ति पत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2002

सं. भा. आयु. परि. 203(9)/2001/विनि.—भारत के असाधारण राजपत्र निर्गम भाग III, खण्ड-4, दिनांक 18 फरवरी, 2002( सं. 25) जो विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता अपेक्षा विनियम, 2002 से संबंधित है, में:

पृष्ठ 5 में शीर्ष "प्रारूप अधिसूचना" के स्थान पर "अधिसूचना" पढ़ा जाए।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

[सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/100/2001]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 2002

No. MCI-203(9)/2001-Regn.—In the Gazette of India—Extraordinary Issue-Part III, Section 4 dated the 18th February, 2002 (No. 25) relating to Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002—

In page 7 for the heading "Draft Notification" -read "Notification".

DR. M. SACHDEVA, Secy.

[No. ADVT-III/IV/Exty./100/2001]

